नई दिल्ली

भौतिक कब्जे का सूचना

ICICI Home Finance

पंजीकृत कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400051.
कॉर्पोरेट कार्यालय : आईसीआईसीआई एचएफसी जेबी टॉवर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई– 400059
शाखा कार्यालय : दूसरी मंजिल, संख्या 1984/4, प्लॉट संख्या 59, ग्रीन पार्क कॉलोनी, 48 चौंबर के पास, एलीट चौराहा, सिविल लाइंस, झांसी–284003

जबकि,

अधोहस्ताक्षरी, प्रतिभूतिकरण, वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किए हैं।

चूंकि उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहा है, इसलिए उधारकर्ता और आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम के नियम 8 के साथ धारा 13 (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा नीचे उल्लिखित तारीखों पर ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को संपत्ति से कोई लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से कोई भी लेन–देन आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता(ओं) का नाम ऋण खाता संख्या	संपत्ति का विवरण/ कब्जे की तिथि	मांग नोटिस की तिथि/मांग नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1	अर्चना (उधारकर्ता), प्रदीप कुमार पंचाल (सह–उधारकर्ता), गुड्डी देवी (सह–उधारकर्ता), LHJHN00001502090.	एनए प्लॉट, आराजी संख्या 1530/4 एमआई, कोच्छा भावर, तहसील एवं जिला झांसी– 284128 का भाग, एनए एनए, झांसी, उत्तर प्रदेश 284001। सीमाएँ– उत्तरः विक्रेता का प्लॉट, दक्षिणः 5.79 फीट चौड़ी सड़क, पूर्वः विक्रेता का प्लॉट, पश्चिमः 7.62 मीटर चौड़ी सड़क।/ कब्जे की तिथि– 13/07/2026	11–12–2024 रु. 34,877.62/–	झांसी
2	अर्चना (उधारकर्ता), प्रदीप कुमार पंचाल (सह–उधारकर्ता), गुड्डी देवी (सह–उधारकर्ता), LHJHN00001501401.	एनए प्लॉट, आराजी संख्या 1530/4 एमआई, कोच्छा भावर, तहसील एवं जिला झांसी– 284128 का भाग, एनए एनए, झांसी, उत्तर प्रदेश 284001। सीमाएँ– उत्तरः विक्रेता का प्लॉट, दक्षिणः 5.79 फीट चौड़ी सड़क, पूर्वः विक्रेता का प्लॉट, पश्चिमः 7.62 मीटर चौड़ी सड़क।/ कब्जे की तिथि– 13/07/2026	11–12–2024 रु. 7,17,767.04/–	झांसी

उपर्युक्त उधारकर्ताओं/गारंटरों को राशि वापस करने के लिए 30 दिन का नोटिस दिया जाता है, अन्यथा बंधक संपत्तियां सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर बेची जाएंगी।

दिनांक: 18 जुलाई 2026
स्थान: झांसी

अधिकृत अधिकारी,
आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

ADITYA BIRLA CAPITAL

आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रेयान कंपाउंड, वेरावल, गुजरात–362266
कॉर्पोरेट कार्यालय : आर–टेक पार्क, 12वीं मंजिल, निरलोन कॉम्प्लेक्स, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास, गोरेगांव ईस्ट – मुंबई – 400063

माँग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (''नियमावली'') के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') की धारा 13(2) के अंतर्गत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल – अहमदाबाद द्वारा 24.03.2025 को पारित आदेश में विधिवत दर्ज 11.03.2024 की समामेलन योजना के माध्यम से आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड और आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड के बीच हुए समामेलन के कारण, उल्लेखित बंधक संपत्ति के संबंध में आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड द्वारा शुरू की गई सभी सरफेसी कार्रवाइयां, समामेलित कंपनी, आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड को हस्तांतरित हो जाती हैं।

तदनुसार, अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम के अंतर्गत आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड (एबीसीएल) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा नियमावली के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत माँग सूचना जारी कर निम्नलिखित ऋणधारक(कों) को उक्त सूचना प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित सूचना में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया था। अधोहस्ताक्षरी का तार्किक रूप से यह मानना है कि ऋणधारक माँग सूचना की तामीली से बच रहा है/रहे हैं, इसलिए नियमावली के अनुसार चिपकाकर तथा प्रकाशन द्वारा सूचना की तामीली प्रभावी की जा रही है। माँग सूचना की अंतर्वस्तु नीचे उद्धृत की गई है :

उपरोक्त के संबंध में, उक्त ऋणधारक(कों) / विधिक वारिस(सों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) को ए.बी.सी.एल. को भुगतान करने के लिए एतद्द्वारा एक बार पुनः सूचना दी जाती है कि वे संबंधित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर अपने–अपने नामों के सामने नीचे दर्शाई गई राशि का भुगतान, कॉलम (घ) में नीचे उल्लिखित संबंधित तिथियों से भुगतान तथा / अथवा वसूली की तिथि तक नीचे विस्तृत विवरण के अनुसार आगे के ब्याज, उक्त ऋणधारक द्वारा निष्पादित ऋण समझौते तथा अन्य दस्तावेजों / ज्ञापनों, यदि कोई हो, के साथ पठित, के साथ करें। ऋण के उचित पुनर्भुगतान की प्रतिभूति के रूप में, निम्नलिखित प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) को उक्त ऋणधारक द्वारा क्रमशः ए.बी.सी.एल. के पास बंधक रखा गया है।

क्र. सं.	ऋणधारक(कों) का नाम और पता	माँग सूचना तिथि तथा एन.पी.ए. तिथि	अचल संपत्ति का विवरण
1.	1. मैसर्स करन मेडिकल एंड फार्मा क्लिनिक, इसके प्रोप्राइटर श्री करन कसौधन के माध्यम से, मठौली बाजार, मठौली, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश – 274301, यहाँ भी स्थित है : मैसर्स करन मेडिकल एंड फार्मा क्लिनिक, इसके प्रोप्राइटर श्री करन कसौधन के माध्यम से, अरजी नं. 1825, मौजा मठौली, टप्पा परवारपार, परगना हवेली, तहसील हाटा, जनपद कुशीनगर – 274301, 2. करन कसौधन पुत्र गोविंद कसौधन, मठौली बाजार, मठौली, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश – 274301, मो–8840288182, ईमेल – **karankash52@gmail.com**, यहाँ भी स्थित है : करन कसौधन पुत्र गोविंद कसौधन, अरजी नं. 1825, मौजा मठौली, टप्पा परवारपार, परगना हवेली, तहसील हाटा, जनपद कुशीनगर – 274301 3. प्रीति कसौधन पत्नी करन कसौधन, नगर पंचायत, मठौली बाजार, वार्ड नं.–12, भगत सिंह नगर मठौली, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश – 274301, यहाँ भी स्थित है : प्रीति कसौधन पत्नी करन कसौधन, अरजी नं. 1825, मौजा मठौली, टप्पा परवारपार, परगना हवेली, तहसील हाटा, जनपद कुशीनगर – 274301, ऋण खाता संख्या : **ABN_GSTS000001001174**	07–07–2026 तथा 04–07–2026 रु. 44,42,591/– (रुपये चौवालिस लाख बयालिस हजार पांच सौ इक्यानबे मात्र) 07–07–2026 के अनुसार	अरजी नं. 1825 में आवासीय मकान का वह पूरा हिस्सा तथा भूखंड जिसका क्षेत्रफल 128 वर्ग मीटर है, जो मौजा – मठौली, टप्पा – परवारपुरा, परगना हवेली, तहसील हाटा, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा जिसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं :– पूर्व : गुसाहेब की भूमि, पश्चिम : विक्रेता की कृषि भूमि, उत्तर : 9 मीटर से कम चौड़ी ईंटों की सड़क, दक्षिण – विक्रेता की कृषि भूमि।

उपरोक्त उल्लिखित संबंधित माँग सूचनाओं में विशेष रूप से बताई गई दर पर आगे के ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, भुगतान तथा / अथवा वसूली की तिथि तक किए गए प्रासंगिक व्यय, लागत, शुल्क आदि के साथ। यदि उक्त ऋणधारक ऊपर बताए अनुसार ए.बी.सी.एल. को भुगतान करने में विफल रहता है, तो ए.बी.सी.एल. उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू नियमावली के अंतर्गत उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) / अचल संपत्ति(यों) के विरुद्ध पूरी तरह से उक्त ऋणधारक / विधिक वारिस(सों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) के जोखिम पर लागत और परिणामों के रूप में आगे की कार्रवाई करेगी।

उक्त ऋणधारक(कों) / विधिक वारिस(सों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) को उक्त अधिनियम के अंतर्गत ए.बी.सी.एल. की पूर्व लिखित सहमति के बिना पूर्वोक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) / अचल संपत्ति(यों) को हस्तांतरित करने, चाहे वह बिक्री, पट्टे के माध्यम से हो या अन्यथा, प्रतिबंधित किया गया है। यह कृपया ध्यान दें कि यह वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 13(2) के अंतर्गत एक अंतिम सूचना है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ए.बी.सी.एल. को ऋणधारक(कों) के विरुद्ध पूरी तरह से उनके जोखिम, जिम्मेदारी तथा लागत पर ऊपर संदर्भित किसी भी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने का पूरा अधिकार होगा।

तिथि : 18–07–2026, स्थान : कुशीनगर — **प्राधिकृत अधिकारी, आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड**

GOODYEAR

गुडईयर इंडिया लिमिटेड

(CIN: L25111HR1961PLC008578)
पंजीकृत कार्यालयः मथुरा रोड, बल्लभगढ़ (जिला-फरीदाबाद)- 121004, हरियाणा, भारत
टेलीफोन: 0129-6611000
ई-मेल: goodyearindia_investorcell@goodyear.com, वेबसाइट: www.goodyear.co.in

65वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई-वोटिंग की जानकारी

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि:

1. **गुडईयर इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") की 65वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 12 अगस्त, 2026 को भारतीय मानक समय (आई एस टी) के अनुसार प्रातः 10:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (वीसी/ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यों का निष्पादन किया जाएगा।** यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में आयोजित की जाएगी, साथ ही एमसीए सामान्य परिपत्र संख्या 3/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 एवं अन्य संबंधित परिपत्रों (जिन्हें सामूहिक रूप से आगे "एमसीए परिपत्र" कहा गया है) के अनुसार सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी। एजीएम का निर्धारित स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय माना जाएगा। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम निर्धारित करने के उद्देश्य से की जाएगी।
2. एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, निदेशक मंडल एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित एजीएम की सूचना उन सभी सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से भेज दी गई है जिनके ई-मेल पते कंपनी अथवा डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। ई-मेल प्रेषण 17 जुलाई, 2026 को पूर्ण कर लिया गया है।
3. **05 अगस्त, 2026 की कट-ऑफ तिथि तक भौतिक** अथवा डीमैट रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य एनएसडीएल की रिमोट ई-वोटिंग सुविधा द्वारा मतदान कर सकेंगे। सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:
   (i) एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यों को रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से संपन्न किया जा सकता है।
   (ii) रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा रविवार, 09 अगस्त, 2026 को प्रातः 09:30 बजे से प्रारंभ होगी।
   (iii) रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा मंगलवार, 11 अगस्त, 2026 को सायं 05:00 बजे समाप्त होगी।
   (iv) रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान हेतु पात्रता निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड तिथि 05 अगस्त, 2026 निर्धारित की गई है।
   (v) कोई भी व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात 05 अगस्त, 2026 को शेयर धारण करता है, वह ई-वोटिंग हेतु लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए एनएसडीएल को **evoting@nsdl.com** अथवा आरटीए को **srikant@skylinerta.com** पर अनुरोध भेज सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही एनएसडीएल में ई-वोटिंग हेतु पंजीकृत है, तो वह अपने मौजूदा लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग करके अपना मत दर्ज कर सकता है।
   (vi) सदस्य कृपया ध्यान दें कि: (क) मंगलवार, 11 अगस्त, 2026 को सायं 05:00 बजे के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को मतदान हेतु निष्क्रिय कर दिया जाएगा तथा एक बार किसी प्रस्ताव पर सदस्य द्वारा अपना मत दर्ज किए जाने के बाद सदस्य को बाद में उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। (ख) जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मत दे दिया है, वे वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से पुनः अपना मत देने के पात्र नहीं होंगे। (ग) एजीएम में भाग लेने वाले वे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मत नहीं दिया है, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना मत देने के पात्र होंगे। (घ) केवल वही व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग करने का पात्र होगा।
   (vii) एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट **www.goodyear.co.in/investor-relations** तथा बी एस ई लिमिटेड की वेबसाइट **www.bseindia.com** पर उपलब्ध है। एजीएम की सूचना एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध है।
   (viii) किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा प्रश्नों के लिए सदस्य **www.evoting.nsdl.com** के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (एफ ए क्यूस) एवं शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, सहायक उपाध्यक्ष, एनएसडीएल (नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड), तृतीय तल, नमन चैंबर, प्लॉट सी-32, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400051 को **evoting@nsdl.com** पर ईमेल अथवा दूरभाष संख्या 022-48867000 पर संपर्क कर सकते हैं। सदस्य कंपनी सचिव को कंपनी के ईमेल पते **goodyearindia_investorcell@goodyear.com** पर भी अपना प्रश्न/अनुरोध भेज सकते हैं।
   (ix) जिन सदस्यों के पास फिजिकल रूप में शेयर हैं और जिनका ईमेल पता कंपनी के पास रजिस्टर्ड नहीं है, वे अपना ईमेल पता रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें फोलियो नंबर, शेयरहोल्डर का नाम, शेयर सर्टिफिकेट की स्कैन की हुई कॉपी (आगे और पीछे का हिस्सा), पैन कार्ड की (स्व-प्रमाणित की हुई स्कैन कॉपी) और आधार कार्ड की (स्व-प्रमाणित की हुई स्कैन कॉपी) कंपनी के ईमेल एड्रेस **goodyearindia_investorcell@goodyear.com** या आरटीए के ईमेल एड्रेस **srikant@skylinerta.com** पर भेजने होंगे। जिन सदस्यों के पास डीमैट रूप में शेयर हैं, वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपना ईमेल पता अपडेट करवा सकते हैं।
4. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2025 के प्रावधानों तथा समय-समय पर संशोधित सेबी मास्टर सर्कुलर दिनांक 06 फरवरी, 2026 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही किया जाएगा, जिन्होंने कंपनी के पास अपने केवाईसी विवरण (अर्थात ई-मेल पता, पिन कोड सहित डाक पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, पैन, आधार आदि) पूर्ण/अपडेट करवा लिए हैं। अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने केवाईसी विवरण को अपडेट/पूर्ण करवा लें। इसके अतिरिक्त, डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने केवाईसी विवरण एवं ई-मेल पते को अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपडेट करवा लें।
5. कृपया ध्यान दें कि आयकर अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार, लाभांश आय सदस्यों के हाथों में कर योग्य होगी तथा कंपनी को सदस्यों को भुगतान किए जाने वाले लाभांश से निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) करनी होगी। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित कर दरों हेतु सदस्यों से अनुरोध है कि वे आयकर अधिनियम, 2025 एवं उसमें किए गए संशोधनों का संदर्भ लें। अधिक जानकारी के लिए कृपया एजीएम की सूचना के नोट संख्या 12 को देखें।

कृते **गुडईयर इंडिया लिमिटेड**
हस्ता./-
अनूप कर्णवाल
(कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

दिनांक: जुलाई 17, 2026
स्थान: गुरुग्राम

HINDUJA HOUSING FINANCE

हिंदूजा हाउसिंग फाइनेंस लि.

कॉर्पोरेट कार्यालयः सं. 167–169, 2री मंजिल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई – 600015
शाखा कार्यालयःएफ8, 1ली मंजिल, महालक्ष्मी टावर, सेक्टर 4, वैशाली, गाजियाबाद–201010; ईमेलः auction@hindujahousingfinance.com

सीएलएम – प्रिया शर्मा – 8218291278 *आरआरएम – अमित कौशिक – 9587088333
आरएलएम– अरुण मोहन शर्मा – 8800898999 * सीआरएम – अमरेंद्र पांडे – 73035 58092

अचल संपत्ति के भौतिक कब्जे का सार्वजनिक नोटिस

सेवा में, 1. श्री अलाउद्दीन अलाउद्दीन (उधारकर्ता); 2. श्रीमती फरजाना फरजाना (सह–उधारकर्ता)
मकान नं. 280, ग्राम रईसपुर, संजय नगर गाजियाबाद, मदरसे वाली गली, ग्रामीण, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत – 201002
एलएएन सं.: **DL/KNR/RANJ/A0000000406**

जैसाकि जिला मजिस्ट्रेट गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा पारित आदेश दिनांक 10/नवंबर/2025 के तहत संपत्ति : "संपूर्ण आवासीय मकान/आवासीय निर्मित संपत्ति जिसका कुल क्षेत्रफल 108 वर्ग गज है, जो खसरा नं. 429Z का हिस्सा है, तथा जो मदरसे वाली गली, ग्राम रईसपुर, परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है (इसके बाद इसे 'उक्त संपत्ति' कहा गया है)। विलेख और तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार इसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं:"सीमाएं :पूर्वः संपत्ति का हिस्सा क्षेत्रफल 72 वर्ग गज / दक्षिण–पूर्व चांद की संपत्ति, पश्चिमः रास्ता 5.5 फीट चौड़ा / उत्तर–पश्चिम गली 5.6 फीट चौड़ी, उत्तरः उत्तर–पूर्व – रास्ता 6 फीट चौड़ा, दक्षिणः मोटे अलाउद्दीन का मकान / दक्षिण–पश्चिम – अन्य संपत्ति, का वास्तविक भौतिक कब्जा मेसर्स हिंदूजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा दिनांक 15.07.2026 को ले लिया गया है:

विशेष रूप से उधारकताओं और सामान्य रूप से आम जनता को एतद्द्वारा सचेत किया जाता है कि वे इस संपत्ति के साथ किसी भी प्रकार का लेन–देन न करें तथा इस संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन–देन मेसर्स हिंदूजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

दिनांकः 18/07/2026, — **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः गाजियाबाद — **हिंदूजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

HINDUJA HOUSING FINANCE

हिंदूजा हाउसिंग फाइनेंस

कॉर्पोरेट कार्यालयः नंबर 167–169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई–600015

एफ8, प्रथम तल, महालक्ष्मी मेट्रो टावर, सेक्टर 4, वैशाली, गाजियाबाद, 201019 ईमेल : auction@hindujahousingfinance.com

जैडआरएम : पवन पांडे – 80105 62716 आरआरएम : शशि मिश्रा – 9718025302
आरएलएम – अरुण मोहन शर्मा – 8800898999.

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत नोटिस

नीचे उल्लिखित कर्जदारों/गारंटरों द्वारा हिंदूजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के माध्यम से लिए गए ऋणों के संबंध में, जो नीचे उल्लिखित तिथियों पर बकाया शेष राशि के साथ एनपीए बन गए हैं। हमने आपको पावती सहित पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कूरियर द्वारा वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत नीचे उल्लिखित दिनांक का विस्तृत डिमांड नोटिस पहले ही जारी कर दिया है, जो बिना वितरित किए/पावती प्राप्त हुए वापस आ गया है। यदि आप 60 दिनों के भीतर नीचे उल्लिखित राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो हम अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार आप में से किसी एक के स्वामित्व वाली प्रतिभूतियों को अपने कब्जे में लेने का इरादा व्यक्त करते हैं। यदि आप ऊपर बताई गई देनदारियों का निर्वहन नहीं करते हैं, तो बैंक/प्रतिभूत ऋणदाता, सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त किसी भी अधिकार का प्रयोग कर सकता है। सरफैसी अधिनियम के तहत आवश्यक होने पर, बैंक/प्रतिभूत ऋणदाता, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा, कब्जा नोटिस/नीलामी नोटिस प्रकाशित करते समय आपकी तस्वीर भी प्रकाशित कर सकता है। विवरण नीचे दिए गए हैं:–

क्र. सं.	कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर	मांग सूचना तिथि एवं राशि
1.	**LAN : DL/BPR/ADHR/A000000065, श्री गौरव गौरव, श्रीमती नेहा नेहा, समाउद्दीनपुर गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश, मेट्रो, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, भारत–201310**	24–04–2026 और रु. 831412/– 24–04–2026 तक एनपीए तिथि: 06–04–2026
2	**LAN : DL/LON/LONI/A000001847, श्री कपिल जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, बी–2/15 पहला मल, सेक्टर 17 रोहिणी रोहिणी सेक्टर 15, मेट्रो, दिल्ली, दिल्ली, भारत – 110089**	24–04–2026 और रु. 2364641/– 24–04–2026 तक एनपीए तिथि: 06–04–2026

संपत्ति का विवरणः प्लॉट एरिया 300 वर्ग गज यानी 250.08 वर्ग मीटर खाता नंबर 242, खसरा नंबर 453 का अंश, समाउद्दीनपुर, परगना और तहसीलः दादरी, जिलाः गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित (इसके बाद इसे उक्त संपत्ति कहा जाएगा)। इस सीमाबद्ध हैः– पूरबः– रास्ता 25 फीट चौड़ा, पश्चिमः– बेचने वाले का बचा हुआ हिस्सा, उत्तरः– बेचने वाले की भूमि, दक्षिणः– ओमवीर और राजेंद्र का खेत

संपत्ति का विवरणः आवासीय प्लॉट नंबर 54, एरिया 82 वर्ग गज, खसरा नंबर 1900 का अंश, गांव धूम मानिकपुर, परगना और तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश की राजस्व संपदा में स्थित है। इसकी सीमा इस प्रकार हैः– पूरबः– रास्ता 40 फीट चौड़ा, पश्चिमः– अन्य का प्लॉट, उत्तरः– अन्य की संपत्ति, दक्षिणः– अन्य की संपत्ति

उपरोक्त कर्जदारों को सलाह दी जाती है कि (1) अधिक व पूर्ण विवरण के लिए नीचे हस्ताक्षरकर्ता से मूल सूचना प्राप्त करें तथा (2) सरफासी अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई से बचने के लिए उपरोक्त संदर्भित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर शेष बकाया राशि ब्याज और लागत आदि का भुगतान करें।

दिनांक : 18–07–2026, स्थान : गाजियाबाद — **प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

प्रपत्र नं. 14
[विनियम –33(2) देखें.]
वसूली अधिकारी कार्यालय–I/ II
ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी–I)
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
डिमांड नोटिस

ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस।

RC/122/2026 — **03-07-2026**

बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम राज कुमार

सेवा में,
(सीडी–1) राज कुमार, स्वामी (प्रोपराइटर), मैसर्स नाइन केबल नेटवर्क,
310, प्रकाश गली, तेलीवाड़ा, दिल्ली–110006

यह सूचित किया जाता है कि **ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (DRT 1)** के पीठासीन अधिकारी द्वारा **TA/2096/2022** पारित आदेशों के अनुसरण में जारी वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार, **रुपये 46,62,933 (केवल छियालीस लाख बासठ हजार नौ सौ तैंतीस रुपये)** की राशि, **08/08/2019** से वसूली होने तक **@ 12.55%** मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ, और इसके अलावा **रुपये 49,000 (केवल उनचास हजार रूपये)** का खर्च आपके विरुद्ध (संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से/पूर्ण/सीमित) देय हो गया है।

2. इस नोटिस के माध्यम से आपको नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और उसके अधीन नियमों के प्रावधानों के अनुसार वसूली की जाएगी।

3. आपको सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले एक हलफनामे पर अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करने का आदेश दिया जाता है।

4. आपको आदेश दिया जाता है कि दिनांक **03.09.2026 को प्रातः 10:30 बजे** अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आगे की कार्यवाही हेतु उपस्थित हों।

5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे:
(क) इस तरह के ब्याज के रूप में प्रमाण पत्र / निष्पादन कार्यवाही की इस सूचना के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय है।
(ख) इस नोटिस और वारंट और अन्य प्रक्रियाओं और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी प्रक्रियाओं की तामील के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क और व्यय।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत दिनांक 03.07.2026 को दिया गया।

हस्ता/–
रविंद्र कुमार तोमर
वसूली अधिकारी–I
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी–I)

बजाज फाइनैंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : बजाज फाइनैंस लिमिटेड, सी/ओ बजाज ऑटो लिमिटेड कॉम्प्लेक्स, मुंबई पुणे रोड आकुर्डी पुणे– 411035
शाखा पता : डी–46–बी, 5वां तल, मंगलम एम्बीशन टावर, सुभाष मार्ग सी, अग्रसेन सर्किल, मालन का चौराहा, सी–स्कीम, जयपुर–302001, भारत

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

(परिशिष्ट–IV) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(1) के अनुसार)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स बजाज फाइनैंस लिमिटेड (बीएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदार(रों)/सह कर्जदार(रों) को पंजीकृत डाक द्वारा मांग ("सूचना") जारी की थीं, जिनमें उनसे उक्त अधिनिय